

भारत का राजपत्र, असाधारण
भाग III-खंड 4
प्राधिकार से प्रकाशित
नई दिल्ली, तारीख 27 मार्च, 2018
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 27 मार्च, 2018

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम,
2018

आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.29 - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2018 है ।
(2) ये 1 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियम, 2017 के विनियम 42 में, “राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016” शब्दों और अंकों के स्थान पर “राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण नियम, 2016” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।
- अनुसूची में, प्ररूप क के उपाबंध में, मद 5 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“भाग 2”

(डा. एम. एस. साहू)

अध्यक्ष

[विज्ञापन.....]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.009, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्

इनमें भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉर्मेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2017 द्वारा आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.016, तारीख 29 सितम्बर, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था ।

**GAZETTE OF INDIA
EXTRAORDINARY
PART III, SECTION 4
PUBLISHED BY AUTHORITY
NEW DELHI, 27th MARCH 2018**

**INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, 27th March 2018**

**INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (INFORMATION
UTILITIES (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018**

IBBI/2017-18/GN/REG 029 - In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the 1st April, 2018.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, in regulation 42, for the words and figures "National Company Law Tribunal Rules, 2016", the words and figures "National Company Law Appellate Tribunal Rules, 2016" shall be substituted.
3. In the Schedule, in the Annexure to Form A, after item 5, the following shall be inserted, namely: -

"PART II".

(Dr. M. S. Sahoo)
Chairperson
[ADVT . - _____]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG009 dated 31st March, 2017 and was subsequently amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* No. IBBI/2016-17/GN/REG016 dated 29th September, 2017.